

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक:
प्रेषक,

यो0ब02/1-29/2018-471/ / यो0वि0, पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2019

राजेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना

विषय:

वित्तीय वर्ष 2018-19 अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/जिला योजना पदाधिकारी के कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत लिपिक एवं अनुसेवक के पारिश्रमिक भुगतान हेतु 2802- संविदा सेवाएँ ईकाई के अंतर्गत कुल ₹76,760/- (छिहत्तर हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र की अतिरिक्त राशि के विमुक्ति की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/जिला योजना पदाधिकारी के कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत लिपिक एवं अनुसेवक के पारिश्रमिक भुगतान हेतु 2802- संविदा सेवाएँ ईकाई के अंतर्गत निम्न राशि के विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र0	कार्यालय का नाम	संविदा कर्मियों का विवरणी	विषय शीष 2802-संविदा सेवाएँ में स्वीकृत राशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, कैमूर (भभुआ)	एक अनुसेवक	19,000/-
2	जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ	एक लिपिक	57,760/-
कुल			₹76,760/-

(छिहत्तर हजार सात सौ साठ रुपये) मात्र।

2. इस पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 अंतर्गत मुख्य शीष-2053-जिला प्रशासन, उपमुख्य शीष-00, लघु शीष-094-अन्य स्थापनाएँ, मांग संख्या-35, उपशीष-0109-योजना यंत्र का सुदृढीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में, विस्तृत शीष-28 विषय शीष-02 संविदा सेवाएँ में स्वीकृत राशि विपत्र कोड-35-2053000940109, के अंतर्गत विकलनीय होगा, जिसके अंतर्गत बजट उपबंध है।

3 इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालयों के कार्यपालक अभियंता/ जिला योजना पदाधिकारी होंगे।

4. इस राशि का उपयोग विवरणी के स्तम्भ 3 में वर्णित संविदा कर्मियों के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. संचिका संख्या यो0ब02/1-29/2018 के पृष्ठ संख्या .. 16 / टि0 पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


6. संचिका संख्या यो0ब02/1-29/2018 के पृष्ठ संख्या 17/टि0 पर विभागीय सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


7. राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार सहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

8. संबंधित कार्यपालक अभियंता/जिला योजना पदाधिकारी प्रत्येक माह योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।


9. इस राशि के व्यय के अंकेक्षण का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


29.01.2019



(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0ब02/1-29/2018-47100 / यो0वि0, पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव 12/1/19

ज्ञापांक: यो0ब02/1-29/2018-47100 / यो0वि0, पटना, दिनांक 12 जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित जिला योजना पदाधिकारी / संबंधित जिला पदाधिकारी / विभागीय लेखा एवं बजट शाखा / आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साइट पर अपलोड कर दें।


सरकार के अपर सचिव 12/1/19
योजना एवं विकास विभाग